



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2008/फाल्गुन 15, 1929

No. 31]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2008/PHALGUNA 15, 1929

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सीए (7)/112/2008.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 9) के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) का संशोधन किया गया है ;

और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन प्रत्येक सदस्य द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता फीस अवधारित करने हेतु सशक्त किया गया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् एतद्वारा यह अवधारित करती है कि,—

1 अप्रैल, 2008 से किसी सदस्य द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता फीस निम्नानुसार होगी :

सहबद्ध सदस्य

— केवल छह सौ रुपए

अध्येता सदस्य

— केवल एक हजार आठ सौ रुपए ;

परंतु यह है कि ऐसे किसी सदस्य के लिए, जिसने सुसंगत वर्ष के 1 अप्रैल को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसी फीस की राशि निम्नानुसार होगी :

सहबद्ध सदस्य

— केवल चार सौ पचास रुपए

अध्येता सदस्य

— केवल एक हजार तीन सौ रुपए ;

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन III/4/104/2007/असा.]

टिप्पण : यह अधिसूचना, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन प्रत्येक सदस्य द्वारा संदेय वार्षिक सदस्यता फीस अवधारित करने हेतु सशक्त करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधन के अनुसरण में जारी की गई है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के सुसंगत उपबंधों में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2008

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/112/2008.—Whereas, the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) has been amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (9 of 2006) ;

And, whereas, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has been empowered to determine, under sub-section (4) of Section 19 of the said Act, the annual membership fee payable by every member ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by said sub-section (4) of Section 19 of the said Act, the Council hereby determines that,—

with effect from the 1st day of April, 2008, the annual membership fee payable by a member shall be as under :

Associate member	—	rupees four hundred only
Fellow member	—	rupees one thousand eight hundred only ;

Provided that a member, who has attained the age of 65 years as on the 1st day of April of the relevant year, shall pay such fee as under :

Associate member	—	rupees four hundred fifty only
Fellow member	—	rupees one thousand three hundred only ;

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT III/4/104/2007/Exty.]

Note : This notification is issued pursuant to amendment to Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 empowering the Council of the Institute to determine under sub-section (4) of Section 19 of the said Act the annual membership fee payable by every member. The consequent amendments to the relevant provisions of the Chartered Accountants Regulations, 1988 are underway.